पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 11 चैत्र, 1937 (श0)
1 अप्रील, 2015 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 1

(1) श्रम संसाधन विभाग	01
कुल योग —	01

फर्जीवाड़े की जाँच

24. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "217 आई०टी०आई० की करायी जायेगी जाँच" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 716 निजी आई०टी०आई० विद्यालय संचालित है जिनमें से विभिन्न जिलों में अवस्थित 217 संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अराजकता की स्थिति तथा परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले सामने आये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि संचालकों द्वारा नामांकन, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्र/छात्राओं से मनमाने तरीके से पैसे लेकर दाखिले के बाद बिना वर्ग (कक्षा) कराये फर्जीवाड़ा ढंग से डिप्लोमा दिया जा रहा है जबकि संस्थानों में आधारभूत संरचना की भारी कमी है तथा बिना अनुदेशकों के दर्जनों संस्थानों में पढ़ाई हो रही है जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में निजी संस्थानों में हो रहे फर्जीवाड़े की जाँच कराकर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । राज्य में कुल 732 निजी औ० प्र० संस्थान संचालित हैं जिनमें से विभिन्न जिलों में अवस्थित 217 संचालित औ० प्र० संस्थानों में शैक्षणिक अराजकता की स्थिति एवं परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले से संबंधित कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) अस्वीकारात्मक । श्रम संसाधन विभागान्तर्गत संचालित औ० प्र० संस्थानों द्वारा डिप्लोमा नहीं दिया जाता है बल्कि महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित हुये परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रशिक्षणार्थियों का 80 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। निजी औ० प्र० संस्थानों के आधारभूत संरचना एवं व्यवसायवार अनुदेशकों की नियुक्ति इत्यादि की जाँच (Quality Council of India) द्वारा किये जाने के उपरान्त की गई अनुशंसा के आधार पर महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संबंधन (Affiliation) प्रदान की जाती है ।

(3) कंडिका (1) के अनुरूप ।

पटना :
दिनांक 1 अप्रील, 2015 (ई०)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 173-डी०टी०पी०-450